*

कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

प0 दीनदयाल उपाध्याय भवन, लाल कोठी, टोंक रोड, जयपुर

नगर निगम ग्रेटर, जयपुर के समस्त जोनों के प्रत्येक वार्ड में साफ–सफाई एवं सीवर जेटिंग मशीनों द्वारा सफाई कार्य हेतु अस्थाई अर्द्धकुशल/अकुशल सफाई श्रमिकों की जॉब बेसिस पर आपूर्ति संविदा/एजेन्सी के माध्यम से लेने हेतु बोली प्रपत्र

बोली प्रपत्र

बोलीदाता के लिये दिशा–निर्देश

A - बोली की शर्ते

1. आमंत्रित ई–बोली का उद्देश्य नगर निगम ग्रेटर, जयपुर के समस्त जोनों में आवश्यकतानुसार साफ–सफाई एवं सीवर जेटिंग मशीनों के द्वारा सफाई कार्य हेतु अस्थाई अर्द्धकुशल/अकुशल सफाई श्रमिकों की आपूर्ति संविदा/एजेन्सी के माध्यम से लेने के लिए दर आमंत्रित किया जाना है।

2. आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 एवं आर.टी.पी.पी. रूल्स 2013 मे दिये गये समस्त प्रावधान/नियम बोली मे लागू होंगें। वित्त जी.एस.टी. के परिपत्र सं. 1/2018 दिनांक 30.04.2018 के तहत् निम्न रजिस्ट्रेशन दस्तावेज की प्रमाणित छाया प्रतियां बोली के साथ प्रस्तुत करनी होंगीः–

क्रम सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्न क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)				
5.	आय कर (पैन नम्बर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

नोटः– सफल बोलीदाता द्वारा उसे कार्यादेश जारी किये जाने के एक माह मे राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के तहत् लाईसेंस प्रस्तुत करना होगा।

3. संवेदक द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले अस्थाई अर्द्धकुशल/अकुशल सफाई श्रमिक के कल्याण सम्बन्धी केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा पारित नियमो/अधिनियमो/निर्देश यथा ई.एस.आई./पी.एफ./बीमा/सर्विस टैक्स/लैबर सैस/न्यूनतम वेतन इत्यादि की पालना करने की समस्त जिम्मेदारी संवदेक/फर्म को होगी।

4. संवेदक को उपरोक्त कार्य में भाग लेने के लिए विगत 03 वित्तीय वर्ष में निविदा राशि का वार्षिक औसत न्यूनतम 50 प्रतिशत टर्न ओवर प्रतिवर्ष का होना आवश्यक होगा। इस हेतु संवेदक द्वारा (C.A.) से प्रमाणित ऑडिटेट बैंलेंस शीट लगाया जाना आवश्यक होगा।

5. संवेदक को किसी भी राजकीय विभाग अथवा राजकीय उपक्रम में समान प्रकृति के गत 03 वर्ष में निम्नानुसार सम्पादित कार्य जिसका अनुभव/पूर्णता प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

   - एक कार्य का अनुमानित लागत का 80 प्रतिशत के बराबर पूर्णता का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

     या

   - दो कार्य जिनमें प्रत्येक कार्य का अनुमानित लागत का 50 प्रतिशत के बराबर पूर्णता का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

     या

   - तीन कार्य जिनमें प्रत्येक कार्य का अनुमानित लागत का 40 प्रतिशत के बराबर पूर्णता का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

6. उक्त निविदा 01 वर्ष के लिए अथवा नवीन भर्ती से प्राप्त होने वाले सफाई कार्मिकों की नियुक्ति (जो भी पहले हो) तक मान्य होगी तथा 01 वर्ष के पश्चात फर्म का कार्य संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से इन्ही शर्तों पर कार्यादेश की समयावधि आगामी 01 वर्ष के लिए बढाई जावेगी। सहमति या असहमति का पत्र संवेदक को निविदा समाप्त होने से कम से कम दो माह पहले देना होगा।

7. संवेदक को कार्यादेश प्राप्त होते ही तत्काल 15 कार्य दिवस में अस्थाई अर्द्धकुशल /अकुशल सफाई श्रमिकों की आपूर्ति करनी होगी।

8. निगम हित में अस्थाई अर्द्धकुशल /अकुशल सफाई श्रमिकों की आपूर्ति की संख्या कम या ज्यादा किये जाने का अधिकार नगर निगम ग्रेटर जयपुर के पास रहेगा, जो संवेदक को मान्य होगा।

9. संवेदक द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले समस्त अस्थाई अर्द्धकुशल /अकुशल सफाई श्रमिकों को वर्दी मय रिफलेक्टर जैकेट (दो जोडी) विद क्यू आर स्कैनर आई–कार्ड सहित उपलब्ध करवाने होंगे।

10. संवेदक द्वारा सफाई कार्य के लिए उपलब्ध करवाये जाने वाले अस्थाई अकुशल सफाई श्रमिकों को वांछित सफाई उपकरण जैसेः– झाडू, छाजला, पत्ती, पंजी, परात, फावड़ा, इत्यादि उपलब्ध करवाने होंगे।

11. संवेदक द्वारा सीवर जेंटिंग मशीन पर आपूर्ति किये जाने वाले अस्थाई अर्द्धकुशल सफाई श्रमिकों को सीवर कार्य एवं सुरक्षा हेतु वांछित सामग्री/उपरकण जैसेः– गेंती, रस्सी, बाल्टी, मास्क, गमबूट, दस्ताने, हैलमेट, गैस मास्क, टॉर्च इत्यादि उपलब्ध करवाए जाएंगे।

12. संवेदक द्वारा आपूर्ति किये गये अस्थाई अकुशल सफाई श्रमिकों को सफाई कार्य के लिए हाथगाडी नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा उपलब्ध करवाई जावेगी।

13. संवेदक द्वारा सीवर जेटिंग मशीन, मैकेनिकल व अन्य के संबंध में नियोजित किये जाने वाले पूर्ण प्रशिक्षित अस्थाई अर्द्धकुशल श्रमिक उपलब्ध करवाने होंगे तथा उन कर्मचारियों का डिजिटल रिकॉर्ड रखना होगा तथा संवेदक को मैनुअल स्कैंवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 की पालना करनी होगी।

14. संवेदक द्वारा आपूर्ति किये गये अर्द्धकुशल श्रमिक जो सीवर जेटिंग मशीन पर कार्य करेंगे उनकी संख्या के अनुरूप नियमानुसार सुरक्षा उपकरण निगम की गैराज शाखा पर उपयोग हेतु कार्यादेश दिये जाने के दस दिवस के भीतर रखवाने होंगे। टेण्डर समाप्त होने के पश्चात निगम द्वारा इन उपकरणों को जैसे है वैसे ही वापस संवेदक को लौटा दिये जाएंगे।

15. संवेदक द्वारा प्रत्येक जोन हेतु एक–एक सुपरवाईजर नियुक्त करना होगा जिसका पृथक से नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।

16. फर्म द्वारा उक्त कार्यो के लिए आपूर्ति किये गये अस्थाई अर्द्धकुशल /अकुशल श्रमिक के साथ यदि कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना/लापरवाही घटित होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संवेदक की स्वयं की होगी। इस बाबत शपथ पत्र नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में संवेदक को देना होगा।

17. नियोजित कर्मचारी/श्रमिक को देय मजदूरी की गणना जिस वर्ग का वह कर्मचारी है उस वर्ग के लिए मासिक देय राशि की गणना न्यूनतम मजदूरी दर को 26 दिन से गुणा करके की जावेगी।

18. संवेदक द्वारा अस्थाई अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिकों की उपस्थिति का रिकॉर्ड संधारित किया जाएगा।

19. सशर्त बोली स्वीकार नही की जावेगी। किसी भी बोली को अथवा उसके किसी भी भाग को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त के पास सुरक्षित होगा।

20. न्यूनतम मजदूरी से कम दर प्रस्तुत करने पर संवेदक की बोली निरस्त कर दी जावेगी।

21. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानो की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।

22. संवेदक द्वारा नियोजित किये जाने वाले अस्थाई अर्द्धकुशल/अकुशल सफाई श्रमिकों को प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में आरटीजीएस/नेफ्ट/चैक इत्यादि के माध्यम से पहले भुगतान किया जायेगा। संवेदक द्वारा नियोजित अस्थाई अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण उपापन संस्था को माह के मासिक बिल के साथ बैंक से प्रमाणित कर्मचारियो की भुगतान की सूची प्रस्तुत करेगा। श्रमिकों के बैंक खातों मे जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत् नगर निगम ग्रेटर जयपुर की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

23. संवेदक को केन्द्र/राज्य सरकार के आदेशानुसार नियोजित किये गये अस्थाई अर्द्धकुशल/अकुशल सफाई श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. संबंधित विभाग में भुगतान बिल प्रस्तुत करने से पहले जमा कराना होगा, जिसमे नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौति और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ईपीएफ और ईएसआई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि मे संबंधित चालान एवं ECR सूची की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा। राज्य मे लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

24. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा। यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नही किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है, तो उपापन संस्था इस संबंध मे श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में ठेका निरस्त कर संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।

25. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर मे श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जायेगा।

26. संवेदक द्वारा वार्ड में आपूर्ति किये गये अस्थाई अर्द्धकुशल/अकुशल सफाई श्रमिकों के कल्याण हेतु निर्धारित ईएसआई/ईपीएफ व अन्य कोई कर नियमानुसार देय होने पर (नियोक्ता का अशंदान) प्रत्येक माह संबंधित विभाग मे जमा करवाकर उसकी रसीद/चालान मय ईसीआर नगर निगम ग्रेटर, जयपुर मे प्रस्तुत करेगा, जिसके आधार पर नगर निगम ग्रेटर, जयपुर द्वारा संवेदक को भुगतान किया जायेगा। संवेदक इस आशय का शपथ–पत्र प्रत्येक माह के बिल के साथ प्रस्तुत करेगा कि संवेदक द्वारा उक्त मद में जमा योग्य सम्पूर्ण ईएसआई/ईपीएफ की राशि जमा करा दी है तथा जो रसीद/चालान मय ई. सी.आर. प्रस्तुत की जा रही है वह चालान/रसीद नगर निगम ग्रेटर जयपुर में उपरोक्त कार्यो में लगाये गये अर्द्धकुशल/अकुशल सफाई श्रमिकों का ही है, साथ ही यह भी शपथ–पत्र मे अंकित होगा कि फर्म द्वारा नियोजित किये गये समस्त अर्द्धकुशल/अकुशल सफाई श्रमिकों का पिछले माह का जमा योग्य ईएसआई/पीएफ संबंधित विभाग मे जमा करा दिया गया है, यदि भविष्य में किसी भी प्रकार की देयता निकलती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी फर्म की होगी, नगर निगम ग्रेटर जयपुर इसके लिए जिम्मेदार नही होगा।

27. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1946 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली मे भाग लेने अर्हत होगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ संबंधित उपापन संस्था की प्रस्तुत की जायेगी।

28. श्रम विभाग के अन्तर्गत निर्धारित नियमो, उपनियिमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विभाग के अन्तर्गत निर्धारित नियमो, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नही करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

29. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसकी समस्त प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालना करने का उत्तरदायी संवेदक होगा।

30. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

31. संवेदक/फर्म का कार्य संतोषजनक नही होने पर नगर निगम, जयपुर द्वारा फर्म की अनुबन्ध अवधि/कार्यादेश/ठेका अवधि को नोटिस देकर बीच में ही समाप्त किया जा सकता है

32. संवदेक बोली मे जी.एस.टी. को छोडकर शेष समस्त करो सहित दर प्रस्तुत करेगा। जीएसटी की राशि लागू होने की स्थिति में संवेदक को नगर निगम ग्रेटर, जयपुर द्वारा पृथक से देय होगी। संवेदक द्वारा जीएसटी राशि को राजकोष मे जमा कराये जाने के प्रमाण प्रस्तुत करने के उपरान्त ही संवेदक को आगामी माह का भुगतान किया जायेगा।

33. बोली में भाग लेने वाले संवेदक निविदा की समस्त शर्तों को पढ़कर वित्तीय प्रपत्र में दरें प्रस्तुत करें।

34. सभी प्रकार के टैक्सो को संबंधित विभाग में जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी।

35. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि:–

1) सफल बोलीदाता को आदेश के प्राप्त होने से 07 दिन के भीतर प्रारूप 17 मे कर करार पत्र स्वयं के खर्चे पर निष्पादित करना होगा तथा बोली स्वीकार की गई है, उनके **05 प्रतिशत** के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करवानी होगी।

2) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जायेगा।

3) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि निम्नलिखित प्रारूपों मे से किसी एक में प्रस्तुत की जावेगी।

(क) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक

(ख) राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रीप्ट/लिखित, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जावेगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जावेगी।

(ग) किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियां यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करवाई जावेगी। बैंक गारंटी से संबंधित अन्य शर्तें बोली प्रतिभूति के लिए नियम 42 मय वर्णित के समान होगी।

(घ) किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जावेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद का मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य संपादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा, ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहृत कर ली जावेगी।

(ड.) संकर्मों के उपापन में मामले में, सफल बोली लगाने वाला संविदा करार पर हस्ताक्षर करते समय अपने प्रत्येक चालू और अंतिम बिल में से बिल की रकम के 10 प्रतिशत की दर से कार्य संपादन प्रतिभूति की कटौती के लिए विकल्प प्रस्तुत कर सकेगा।

4) केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा करवाने से मुक्त होगे।

5) निर्धारित अवधि में अनुबंध पत्र एवं कार्य सम्पादन बोली प्रतिभूति राशि जमा नही कराने की स्थिति मे फर्म द्वारा जमा बोली सुरक्षा राशि जब्त कर ली जावेगी एवं आरटीपीपी नियमानुसार एल–2 व एल–3 ...... फर्म को एल–1 की दरो पर आपसी सहमति से कार्यादेश दे दिया जावेगा।

36. संवेदक को श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.8 (5)(6) न्यू.म.अभी/आई.आर./श्रम/2000/पार्ट/15340 जयपुर दिनांक 30.07.2021 तथा वित (जीएसटी) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.(2)वित्त/एसपीएफसी/2017 जयपुर दिनांक 30.04.2018 की पालना करनी होगी।

37. संवेदक द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले अस्थाई अर्द्धकुशल/अकुशल सफाई श्रमिकों द्वारा किसी कारणवश हडताल करने/कार्य नही करने पर अन्य वैकल्पिक व्यवस्था संवेदक को स्वयं के स्तर पर करनी होगी।

38. संवेदक/फर्म द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के अर्द्धकुशल/अकुशल सफाई श्रमिकों अथवा अयोग्य श्रमिक नियोजित नही किया जायेगा।

39. संविदा अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में आयुक्त महोदया एवं महापौर महोदया द्वारा इस विषय पर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा। जो दोनों पक्षकारों (नगर निगम ग्रेटर जयपुर एवं फर्म) को मान्य होगा।

40. विवाद होने की स्थिति मे यदि कोई संवेदक द्वारा न्यायालय की शरण मे जाने पर न्यायिक क्षेत्र जयपुर शहर ही रहेगा।

41. संवेदक को बोली मे भाग लेने के लिए अर्हताओं (वित्तीय राशि) की पूर्ति हेतु साझेदारी प्रणाली काम मे ले सकते है।

B - Scope of Work (कार्य विवरण)

1. संवेदक द्वारा आपूर्ति किये गये अस्थाई अर्द्धकुशल/अकुशल सफाई श्रमिकों से वार्ड में साफ–सफाई, झाडू बुहार, डिवाईडरों एवं फुटपाथों के बीच में स्थित पेड–पौधों की कटिंग, गंदगी/कचरे का हाथगाडी के माध्यम से कचरा डिपो तक पहुंचाना एवं झाडू बुहार एकत्रित कचरे एवं गंदगी को हॉपर्स में डलवाना एवं वार्ड में स्थित दो फुट से छोटी नालियों की साफ–सफाई तथा सीवर जेटिंग मशीनों पर सीवर सफाई का कार्य तथ वार्ड सफाई निरीक्षक के निर्देशानुसार समस्त साफ–सफाई का जॉब कार्य, सीवर लाइनों की सफाई का कार्य किसी भी परिस्थिति में बगैर सुरक्षा उपकरण के नहीं करवाया जावेगा।
2. अर्द्धकुशल/अकुशल सफाई श्रमिकों का कार्य समय 8 घंटे रहेगा जो नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा निर्धारित किया जावेगा तथा परिस्थिति अनुसार इसे बदला जा सकेगा, रात्रिकालीन सफाई करवाये जाने की स्थिति में नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा रात्रिकालीन सफाई कार्य के लिए पृथक से समय निर्धारित किया जावेगा। जो संवेदक को मान्य होगा।

C - कार्य प्रमाणिकरण, भुगतान व शास्ती

1. संवेदक द्वारा वार्ड में उपलब्ध करवाये गये अस्थाई अर्द्धकुशल सफाई श्रमिकों द्वारा किये गये कार्य एवं उनकी उपस्थिति का प्रमाणीकरण गैराज शाखा के कनिष्ठ अभियंता/सहायक अभियंता/अधिशासी अभियंता/उपायुक्त गैराज से करवाया जावेगा।
2. संवेदक द्वारा उपलब्ध करवाए गये अस्थाई अकुशल सफाई श्रमिकों द्वारा किये गये सफाई कार्य का प्रमाणिकरण एवं उनकी उपस्थिति का प्रमाणीकरण जोन में आवंटित वार्ड के मुख्य सफाई निरीक्षक, जोन उपायुक्त एवं वार्ड पार्षद से करवाया जावेगा।
3. संवेदक द्वारा प्रत्येक माह की 01 से 10 तारीख तक अस्थाई अर्द्धकुशल/अकुशल सफाई श्रमिकों को भुगतान करके टेण्डर की शर्त संख्या 01 व 02 के अनुसार प्रमाणिकरण करवाकर समस्त सूचनाओं/रिकॉर्ड सहित प्रत्येक माह की 10 तारीख तक बिल भुगतान हेतु उपायुक्त स्वास्थ्य शाखा मे प्रस्तुत करना होगा।
4. संवेदक द्वारा अस्थाई अर्द्धकुशल/अकुशल सफाई श्रमिकों को मासिक वेतन का भुगतान उनके बैंक खाते में राशि ई–भुगतान/आर.टी.जी.एस./नेफ्ट इत्यादि के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा।
5. संवेदक को आपूर्ति करने हेतु आदेशित अस्थाई अर्द्धकुशल/अकुशल सफाई श्रमिकों की आपूर्ति सेवा उचित नहीं पाये जाने पर कटौती/शास्ति/पेनल्टी निम्नानुसार लगाई जावेगी :–

क्र. स.	कटौती का प्रकार	कटौती/पेनल्टी/शास्ति राशि
1.	अस्थाई अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिकों की अनुपस्थिति	200/– रू0 प्रतिश्रमिक प्रतिदिन
2.	निर्धारित रिफलेक्टर जैकेट (वर्दी) नहीं होने पर	50/– रू0 प्रति श्रमिक प्रतिदिवस
3.	निर्धारित आई.डी. कार्ड नहीं होने पर	20/– रू0 प्रति श्रमिक प्रतिदिवस
4.	झाडू या आवश्यक होने पर छाजला, पत्ती, पंजी, फावडा, गेंती इत्यादि नहीं पाये जाने पर	150/– रू0 प्रति श्रमिक प्रतिदिवस
5.	Scope of Work में निर्धारित कार्य मौके पर नहीं पाये जाने पर	1000/– रू0 प्रति दिवस प्रति सर्विस पॉइन्ट क्षेत्र तथा पुनरावृत्ति होने पर श्रमिक का प्रतिस्थापन करना होगा।
6.	अर्द्धकुशल श्रमिक जो सीवर जेंटिंग मशीन पर कार्य करेंगे उनके पास निर्धारित सुरक्षा	1000/– रू0 प्रति श्रमिक प्रतिदिवस

	उपकरण नहीं होने पर	
7.	समस्त जोनों में सुपरवाईजर नहीं लगाये जाने पर	10,000/– रू प्रतिमाह, प्रति सुपरवाईजर प्रत्येक जोन
8.	प्रत्येक माह की 10 तारीख तक बिल प्रस्तुत नहीं करने पर	500/– रू. प्रतिदिन, प्रतिजोन

6. संवेदक/फर्म का कार्य संतोषजनक नही होने पर नगर निगम ग्रेटर, जयपुर द्वारा फर्म की अनुबन्ध अवधि/कार्यादेश/ठेका अवधि को सात दिवस का नोटिस देकर सुधार हेतु अवसर दिया जावेगा उसके पश्चात भी सुधार नहीं किये जाने पर अनुबंध समाप्ति की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी।

D - Eligibility Criteria (योग्यता मानक)

1. बोली मे भाग लेने वाली फर्म ब्लेक लिस्ट नही होना चाहिए तथा फर्म के विरूद्ध कोई किसी प्रकार की देयता बकाया नही है, इस आशय का 100/–रू. का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
2. बोली मे भाग लेने वाले संवेदक को बोली की शर्त संख्या 05 में वर्णित कार्यों के अनुसार अनुभव प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. संवेदक को उपरोक्त कार्य में भाग लेने के लिए विगत 03 वित्तीय वर्ष में निविदा राशि का वार्षिक औसत न्यूनतम 50 प्रतिशत टर्न ओवर प्रतिवर्ष का होना आवश्यक होगा। इस हेतु संवेदक द्वारा (C.A.) से प्रमाणित ऑडिटेट बैंलेंस शीट लगाया जाना आवश्यक होगा।
4. बोली दाताओं को बोली शुल्क, बोली प्रतिभूति एवं प्रोसेसिंग फीस ऑनलाइन नगर निगम ग्रेटर, जयपुर की वेबसाईट www.jaipurmc.org पर Submission Date and time से पूर्व जमा करवाकर उससे प्राप्त होने वाली रसीद को स्केन करके www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने पर ही बोली को मान्य किया जायेगा।
5. बोलीदाता द्वारा बोली प्रपत्र व शर्तो पर स्वयं हस्ताक्षर कर स्केन करके www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने पर ही बोली को मान्य किया जायेगा।
6. संवेदक द्वारा अनुलग्न ए, बी, सी, डी, ई स्वयं हस्ताक्षरित कर अपलोड करना होगा।

कार्यालय नगर निगम ग्रेटर जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड जयपुर–302015, राजस्थान)

क्रमांक :– एफ.31( ) उपा.स्वा. / ननिज / 2024 / 250 दिनांक :– 06/08/24

ई–टेण्डरिंग – बोली सूचना सं. 01 बोली प्रपत्र (तकनीकी बीड) (वर्ष 2024–25)

क्रं सं	विवरण	प्रस्तुत दस्तावेजो का विवरण				
01	कार्य का नाम	नगर निगम ग्रेटर जयपुर के समस्त जोनों / वार्डों में साफ–सफाई तथा सीवर जेटिंग मशीनों पर सफाई कार्य हेतु अस्थाई अर्द्धकुशल / अकुशल सफाई श्रमिकों की आपूर्ति का कार्य।				
02	फर्म का नाम					
03	फर्म का पता व मोबाईल नम्बर					
04	फर्म की ई–मेल आईडी					
05	फर्म का पैन नम्बर					
06	फर्म का रजिस्टेशन का विवरण					
	विवरण		रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्न क्रमांक
	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970					
	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952					
	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948					
	वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)					
	आय कर (पैन नम्बर)					
	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत					
	नोटः– सफल बोलीदाता द्वारा उसे कार्यादेश जारी किये जाने के एक माह मे राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के तहत् लाईसेंस प्रस्तुत करना होगा।					
07	संवेदक को उपरोक्त कार्य में भाग लेने के लिए विगत तीन वित्तीय वर्ष में निविदा राशि का वार्षिक औसत न्यूनतम 50 प्रतिशत टर्न ओवर प्रति वर्ष का होना आवश्यक होगा। इस हेतु संवेदक द्वारा (C.A.) से प्रमाणित ऑडिटेड बैलेंस शीट लगाया जाना आवश्यक होगा।		**वर्ष**		**टर्न ऑवर**	
			वर्ष 2021–22			
			वर्ष 2022–23			
			वर्ष 2023–24			
08	बोली मे भाग लेने वाली फर्म ब्लेक लिस्ट नही होना चाहिए तथा फर्म के विरूद्ध कोई किसी प्रकार की देयता बकाया नही है, इस आशय का 100/–रू. का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।					
09	बोली मे भाग लेने वाले संवेदक को **बोली की शर्त संख्या 05** में वर्णित कार्य के अनुसार अनुभव प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।					
10	बोली शुल्क 5000/–रूपये का जमा करवाकर रसीद अपलोड करनी होगा।					
11	बोली प्रोसेसिंग फीस 2500/– रूपये एम डी आर.आई.एस.एल. मे जमा करवाकर रसीद अपलोड करनी होगी।					
12	संवेदक द्वारा अनुलग्न ए, बी, सी, डी, ई संलग्न करना होगा।					

(नवीन भारद्वाज)
उपायुक्त (स्वास्थ्य)
नगर निगम ग्रेटर जयपुर

कार्यालय नगर निगम ग्रेटर जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड जयपुर–302015, राजस्थान)

क्रमांक :– एफ.31( ) उपा.स्वा./ननिज/2024/ 251 दिनांक :– 06/08/24

बोली सूचना सं. 01 बोली प्रपत्र (वित्तीय बीड) (वर्ष 2024–25)

नगर निगम ग्रेटर जयपुर के समस्त जोनों/वार्डों में साफ–सफाई कार्य हेतु अस्थाई अर्द्धकुशल/अकुशल सफाई श्रमिकों की आपूर्ति संविदा/एजेन्सी के माध्यम से उपलब्ध करवाने के लिए दरें निम्न प्रपत्र में प्रस्तुत की जावेगी।

क्रम सं.	कार्य का प्रकृति	श्रमिक की श्रेणी	अनुमानित संख्या	न्यूनतम मजदूरी दर (प्रति श्रमिक प्रतिदिन)	EPF दर 12.00 प्रतिशत (कॉलम सं. 05 का)	ESI दर 3.25 प्रतिशत (कॉलम सं. 05 का)	बोली की शर्त संख्या 09,10,11 व 15 में उल्लेखित सामग्री मय वर्दी एवं संसाधन, सुपरवाईजर सहित अस्थाई अर्द्धकुशल/अकुशल सफाई श्रमिक आपूर्ति हेतु सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि प्रति श्रमिक प्रतिदिन	कुल राशि	Totel Amount in words
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	नगर निगम ग्रेटर जयपुर के गैराज शाखा में सीवर जेटिंग मशीन पर अस्थाई अर्द्धकुशल श्रमिकों की आपूर्ति का कार्य।	अर्द्धकुशल श्रमिक	135	297/–रू	35.64/–रू.	9.65 /–रू		0.00	
2	नगर निगम ग्रेटर जयपुर के समस्त जोनों/वार्डों साफ–सफाई कार्य हेतु अस्थाई अकुशल श्रमिकों की आपूर्ति का कार्य।	अकुशल श्रमिक	1700	285/– रू	34.02 /–रू	9.26 /–रू		0.00	
Totel in Figures								0.00	INR Zero Only
Quoted rate in words									

नोटः–

1. उपर्युक्त तालिका मे स्तम्भ सं. 1 से 7 तथा 9, 10 की पूर्तियां संबंधित उपापन संस्था द्वारा ही की जाकर बोली दस्तावेज में ही अंकित कर उपलब्ध करवाई जायेंगी तथा केवल कॉलम संख्या 8 मे ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां की जा सकेंगी। एल– 1 निर्धारण पृथक–पृथक (अर्द्धकुशल/अकुशल) न्यूनतम दरदाता के आधार पर किया जावेगा।
2. जीएसटी नियम अनुसार यथा लागू अतिरिक्त देय होगा।

हस्ताक्षर बोलीदाता
मय मोहर

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated............. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ____________________

The designation and address of the Second Appellate Authority is ____________________

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....
Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:
   ....
   ....
   .... (Supported by an affidavit)
7. Prayer:
   ....
   ....
   ....

Place ....
Date ....
Appellant's Signature

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Annexure E

Clause 1: <u>Fair Wage Clause</u>

(a) The Contractor shall pay not less than fair wages/minimum wages to labours engaged by him on the work as revised from lime to time by the Government, but the Government shall not be liable lo pay any thing extra for it except as stipulated in price escalation clause (clause 45) of the agreement.

Explanation: "Fair Wage" means minimum wages for time or piece work, fixed revised, by the Stale Government under the Minimum Wages Act, 1948.

(b) The Contractor shall, notwithstanding the provision of any contract to the contrary, cause to be paid fair wages lo labourers indirectly engaged on the work, including any labour engaged by his sub-con tractors in connection with the said work as if the labourers have been immediately or directly employed by him.

(c) In respect of all labourers, immediately or directly employed on the work, for the purpose of the Contractor's part of this agreement, the Contractor shall comply with or cause to be complied with the Public Works Department Contractor's Labour Regulations made, or that may be made by the Government, from time to time, in regard lo payment of wages, wage period, deductions from wages, recovery of wages not paid, and unauthorised deductions, maintenance of wages register, wage card, publication of scale of wages and other terms of employment, inspection and submission of periodical returns and other matters of a like nature.

(d) The Engineer-in-charge shall have the right to deduct from the money due to the Contractor any sum required or estimated lo be required for making good the loss suffered by a worker or workers, by reasons of non-fulfilment of the conditions of the contract, for the benefit of the worker or workers, non-payment of wages or of deductions made there from, which are not justified by the terms of the contract, or as a result of non-observance of the aforesaid regulations.

(e) Vis-à-Vis the Municipal Corporation Jaipur, the Contractor shall be primarily liable for all payments to be made and for the observance of the regulations aforesaid, without prejudice lo his right to claim indemnity from his subcontractors,

(f) The regulations, aforesaid, shall be deemed to be part of this contract and any breach, thereof, shall be breach of the contract.

Clause 2: <u>Contractor to engage technical staff</u>

The Contractor shall engage the technical staff, as follows, on the contract works:-

(a) For works costing Rs. 100 lac and above- One Graduate Engineer.

(b) For works costing between Rs. 50 lac to Rs. 100 lac- One qualified diploma holder having experience of not less than 3 years.

(c) For works costing between Rs. 15 lac and Rs. 50 lac- One qualified diploma holder.

The technical staff should be available at site, whenever required by Engineer-in-charge to take instructions.

Clause 3 :
The Contractor shall comply with the provisions of the Apprenticeship Act, 1961, and the Rules and Orders issued, there under, from time to time. If he fails to do so, his failure will be a breach of contract. The Contractor shall also be liable for any pecuniary liability arising on account of any violation by him of the provisions of the said Act.

Clause 4: Safety Code
The Contractor shall follow the safety code of electricity Strictly.

Clause 5:
Near Relatives barred from tendering
The Contractor shall not be permitted to lender for works in Circle, in which his near relative is posted as Divisional Accountant or as an officer in any capacity between the grades of the Superintending Engineer and Assistant Engineer (both inclusive). He shall also intimate the names of persons, who are working with him in any capacity, or are subsequently employed by him and who are near relatives to any gazetted officer in the Organization/Department. Any breach of this condition by the Contractor would render him liable to be removed from the approved list of contractors of the Department. If such facts is noticed (a) before sanction of tender, his offer shall be declared in valid and earnest money shall be forfeited, (b) after sanction of the tender then the tender sanctioning authority may at his discretion forfeit his earnest money, performance guarantee, security deposit and enlistment deposit and the work/remaining work may allot to any registered contractor on the same rates as per rules.

Note: By the term 'near relative' is meant wife, husband, parents and grand-parents, children and grand children, brothers and sisters, uncles and cousins and their corresponding in-laws.

Clause 6: Retired Gazetted Officers barred for 2 years
No Engineer of Gazetted rank or other Gazetted Officer, employed in Engineering or Administrative duties in an Engineering Department of the Government of Rajasthan, is allowed to work as a Contractor for a period of 2 years of his retirement from Government service without the previous permission of Government of Rajasthan. The contract is liable to be cancelled, if either the Contractor or any of his employees is found, at any time, to be such a person, who had not obtained the permission of Government, as aforesaid, before, submission of the tender or engagement in the contractor's service, as the case may be.

Clause 7: Quality Control
The Municipal Corporation Jaipur shall have right to exercise proper Quality Control measures. The Contractor shall provide all assistance to conduct such tests and shall bear the cost of all tests.

Clause 8:
The work (whether full constructed or not) and all materials, machines, tools and plant, scaffolding,

temporary buildings and other things connected therewith, shall be at the risk of the contractor until the work has been delivered to the Engineer- in -charge, and a certificate from him, to the effect, obtained.

Clause 9: Death of Contractor

Without prejudice to any of the rights or remedies under the contract, if the Contractor dies the legal heirs of the Contractor or the Chief Engineer or duly authorised Engineer shall have the option of terminating the contract without any compensation.

Clause 10 : Force Majeure

Neither party shall be liable to each other, for any loss or damage, occasioned by or arising out of acts or God such as-unprecedented floods, volcanic eruptions, earthquake of other invasion of nature and other acts.

Clause 11: General Discrepancies and errors:

In case of percentage rate tenders, if there is any typographical or clerical error in the rates shown by the department in the "G" Schedule. the rates as given in the basic Schedule of Rates of the Department for the area shall be taken as correct.

Clause 12 : Post payment Audit & Technical Examination:

The Government shall have right to provide a system of per-check of Contractor's bill by a specified Organization, and payment by an Engineer or an Accounts Officer/ Sr. Accounts Officer/ Chief Accounts Officer/ Financial Advisor, as the Government may in its absolute discretion prescribe. Any over-payments/ excess payment detected, as a result of such per-check post-check of Contractor's bill, can be recovered from the contractor's bills in the manner, herein before provided and the Contractor will refund such over/ excess payments.

Clause 13 : Check Measurements:

The department reserves to itself, the right to prescribe a scale of check measurement of work in general, or specific scale for specific works of by other special orders (about which the decision on the department shall be final) Checking of measurement by superior officer shall supersede measurements by the subordinate officer and the former will become the basis of the payment. Any over/excess payment detected, as a result of such check measurement or otherwise at any stage up to the date of completion and the defect removal period specified else-where in this contract, shall be recoverable from the Contractor, as any other dues payable to the Government.

Clause 14: Check Measurements:

The Contractor in course of the work should understand that all materials e.g. stone, bricks, steel and other materials obtainable in the work by dismantling etc. will be considered as the property of the Government and will be disposed off to the best advantage on the Government. As per direction of the Engineer-in-Charge.

Clause 15: Recovery from Contractors:

Whenever any claim against the Contractor for the payment of a sum of money arises out of or under the contract, the Department shall be entitled to recover such sum be appropriation in part or whole of the Performance Guarantee and / or Security Deposit. Security Deposit at the time of enlistment of the Contractor. In the event of the security being insufficient, or if no security has been taken, thereafter, may become due to the Contractor, under this or any other contract with the Governor of Rajasthan. Should this sum be not sufficient to cover the full amount recoverable the Contractor shall pay to the Department on demand the balance remaining dues.
The department shall, further, have the right to affect such recoveries under Public Demands Recovery Act.

Clause 16: Jurisdiction of Court:

In the event of any dispute arising between the parties hereto, in respect or any of the matters comprised in this agreement, the same shall be settled by a competent court having jurisdiction over the place, where agreement is executed any by no other court, after completion of proceedings under Clause 23 of this contract.